पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील स.861/2019

दिवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या.7348/2015 के अन्तर्गत

==========

अशोक कुमार सिंह, पुत्र- राम एकबल सिंह, निवासी गाँव-पचलाख, थाना-परसा छपरा, जिला-छपरा (सारण), कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रभाग-1, बिहार सरकार, पटना के पद से सेवानिवृत

.... अपीलार्थी।

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य मंडल, पटना।
8. कार्यकारी अभियंता (सतर्कता), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

.....उत्तरदातागण।

==========

बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005-अनुशासनात्मक कार्यवाही-नियम-19 नियम 19 (1) (बी) नियम-17 के उप-नियम (3) से (23) के तहत एक निश्चित जांच कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में है-रिकॉर्ड/अभिलेख जमा करने में देरी-अपीलकर्ता रिकॉर्ड/अभिलेख का संरक्षक नहीं था-रिकॉर्ड/अभिलेख का संरक्षक चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्ति पर था-अपीलकर्ता के नियंत्रण से परे-अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने नियम 19 (1) (बी) का सहारा लेकर मामूली जुर्माना लगाने के लिए आगे बढ़ाया-आदेश को दरकिनार कर दिया गया-एलपीए की अनुमति दी गई। (भरोसाः ओ. के. भारद्वाज बनाम भारत संघ और अन्य (2001) 9 एससीसी 180)।

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील स.861/2019

दिवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या.7348/2015 के अन्तर्गत

==========

अशोक कुमार सिंह, पुत्र- राम एकबल सिंह, निवासी गाँव-पचलाख, थाना-परसा छपरा, जिला-छपरा (सारण), कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रभाग-1, बिहार सरकार, पटना के पद से सेवानिवृत

.... अपीलार्थी।

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य मंडल, पटना।
8. कार्यकारी अभियंता (सतर्कता), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

....उत्तरदातागण।

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता।

श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।

श्री उमा शंकर शर्मा, अधिवक्ता।

श्री शिव कुमार प्रभाकर, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री मनीष कुमार, एएजी-6 (पूर्व) के अ.लि./प्रभारी-एएजी-5।

==========

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंत्री

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंत्री)

तिथि : 01-03-2024

बर्तमान एल.पी.ए में अपीलार्थी ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7348/2015 में विद्ान एकल न्यायधीश द्वारा पारित दिनांक 14.05.2019 के आदेश को चुनौती दिया है।

2. कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य करते समय अपीलार्थी को बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (संक्षेप में "नियम 2005") के नियम 19 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन किया गया था। 26.07.2011 को, अपीलार्थी का स्पष्टीकरण मांग करने पर, अपीलार्थी ने 01.08.2011 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण 09.05.2013 को संचयी प्रभाव के बिना सेंसर का जुर्माना लगाने और दो वृद्धि को रोकने के लिए आगे बढ़े।

3. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दंड आदेश लागू किए जाने से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने संशोधन/समीक्षा को प्राथमिकता दी और इसे 28.05.2015 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, अपीलार्थी ने 2015 का सी.डब्लू.जे.सी सं.7348 दाखिल किया है और इसे 14.05.2019 पर खारिज कर दिया गया था। अतः वर्तमान एल. पी. ए.

4. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 01.08.2011 आरोप के जवाब में उठाए गए विशिष्ट तर्क पर ध्यान नहीं देने में त्रुटियां की है और इस हद तक अवगत नहीं कराया है कि 09.05.2013 और 28.05.2015 को आदेश पारित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकरण और पुनरीक्षण

प्राधिकरण दोनों की ओर से विवेक का उपयोग नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई कुछ विवादित मुद्दे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को नियम 2005 के नियम 19 (1) (बी) के आलोक में जांच करने का सहारा लेना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष सचिव की ओर से अभियंता प्रमुख के माध्यम से मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने में अपीलार्थी की विशिष्ट याचिका की सराहना नहीं की गई है। वास्तव में, अपीलार्थी ने विशेष रूप से तर्क दिया है कि उन अभिलेखों का संरक्षक चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्ति पर था। इसलिए, विशेष सचिव और मुख्य अभियंता की ओर से मांगे गए दस्तावेज़ प्रदान करना अपीलार्थी के नियंत्रण से बाहर था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकरण और इसी तरह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसकी सराहना नहीं की गई है।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और 2015 के सी.डब्ल्यू.जे.सी सं.7348 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को नियम 2005 के नियम 19 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन किया गया था और यह केवल मामूली दंड लगाने के लिए था। मामूली जुर्माना लगाने के संबंध में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण केवल आरोपों के अनुच्छेद के साथ कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगने की सीमा तक का कारण बताएँ नोटिस जारी करने सहारा ले सकता है। और उसके बाद, ऐसे सरकारी कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर उचित विचार करने के बाद सजा का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। उसी का सहारा लिया गया है, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने नियम 2005 के नियम 19 (1) (बी) को लागू नहीं किया है। अतः, विद्वत एकल न्यायाधीश के दंड, पुनरीक्षण आदेश और आदेश के क्रम में कोई दुर्बलता नहीं है। इसलिए, वर्तमान एल. पी. ए. 2015 के सी.डब्ल्यू.जे.सी सं.7348 में पारित दिनांक 14.05.2019 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज होने योग्य है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना

7. मामले के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले, नियम 2005 के नियम 19 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः

> **"19. मामूली दंडों को लागू करने की प्रक्रिया-** (1) नियम 18 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खंड (i) से खंड (v) में निर्दिष्ट दंडों में से कोई भी अधिरोपित करने का कोई आदेश निम्नलिखित के अलावा नहीं किया जाएगा -
>
> (क) सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव और कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के बारे में लिखित रूप में सूचित करना, जिस पर यह लिया जाना प्रस्तावित है। और उसे ऐसा प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देना जो वह प्रस्ताव के खिलाफ करना चाहे;
>
> (ख) नियम 17 के उप-नियम (3) से (23) में निर्धारित तरीके से जांच करना, हर उस मामले में जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है;
>
> (ग) खंड (क) के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और खंड (ख) के तहत आयोजित जांच के अभिलेख, यदि कोई हो, को विचार में लेना;
>
> (घ) दुराचार या दुर्व्यवहार के प्रत्येक आरोप पर एक निष्कर्ष दर्ज करना; और
>
> (ङ) आयोग से परामर्श करना जहां इस तरह का परामर्श आवश्यक है।
>
> (2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में शामिल होंगे -

(i) सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव की सूचना की एक प्रति;

(ii) उसे दिए गए दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के बयान की एक प्रति;

(iii) उसका प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो;

(iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य;

(v) आयोग की सलाह, यदि कोई हो;

(vi) दूराचार या दुव्यर्वार के प्रत्येक आरोप के निष्कर्ष

(vii) उसके कारणों की वजह के साथ मामले पर आदेश

8. नियम 2005 का नियम 19 मामूली दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अपीलार्थी पर मामूली दंड लगाने की आड़ में नियम 2005 के नियम 19 को लागू किया है। उन्होंने 26.07.2011 को आरोप के साथ कारण दर्शाएँ जारी किया है। अपीलार्थी ने 01.08.2011 पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सेंसर का जुर्माना लगाने और 09.05.2013 पर दो वृद्धि को रोकने के लिए आगे बढ़े। इसके अलावा, संशोधन/समीक्षा में इसकी पुष्टि की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 2005 का नियम 19 (1) बी नियम 17 के उप-नियम (3) से (23) के तहत एक निश्चित जांच कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में है। उपरोक्त नियम वर्तमान मामले में इन कारणों से आकर्षित है कि अपीलार्थी ने अपना स्पष्टीकरण 01.08.2011 पर प्रस्तुत किया था कि मुख्य अभियंता के माध्यम से विशेष सचिव द्वारा मांगे गए अभिलेखों को प्रस्तुत करने में देरी क्यों हो रही है। उनकी विशिष्ट दलीलें इस प्रकार हैंः

"1. कार्य प्रभाग, पटना वर्ष के अंतर्गत हरिदास बीघा खुसरोपुर रोड कटौना धर्मशाला चमारतोली पथ पर 2006-07 एग्रीमेंट संख्या

46F2/2006-2007 के बारे में अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्र संख्या 66.05 दिनांक 19.05.2011 द्वारा मॉगी गई जानकारी के संदर्भ में, कार्यालय पत्रांक संख्या 1949 दिनांक 20.05.2011 द्वारा उन्हे सूचित किया गया था। ग्रामीण निर्माण विभाग के पत्र सं. 6615 दिनांक 19.05.2011 द्वारा मांगी गई जानकारी। आसान संदर्भ के लिए, उन पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि संबंधित कर्मचारी पंचायत चुनावों के लिए प्रतिनियुक्ति पर है। उनके आने के तुरंत बाद दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में, 19.05.2011 पर ही, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने शाम को अभियंता प्रमुख को फोन किया था और उन्हें पूरे तथ्यों के साथ सूचित किया था। उन्होंने कहा था कि वह संबंधित संचिका की तलाशी ले रहे हैं।

2. कार्यालय पत्रांक 1984 दिनांक 26.05.2011 के माध्यम से, अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग को वास्तविक स्थिति के बारे में फिर से सूचित किया गया। उन पत्रों की प्रतिलिपि आसान संदर्भ के लिए संलग्न की गई है।

3. इससे पहले इंजीनियर-इन-चीफ के पत्र सं.II/Pra.-01-178/08 4496 दिनांक 16.12.2008 के माध्यम से एक प्रतिवेदन मांगी गई थी। जिसकी पूरी जानकारी उन्हें और अधीक्षण अभियंता को इस कार्यालय के पत्र सं.4315 दिनांक 18.12.2008 के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। ”

9. अपीलार्थी के उपरोक्त स्पष्टीकरण के पैराग्राफ-1 को पढ़कर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने यह तर्क दिया है कि वह अभियंता प्रमुख के माध्यम से विशेष सचिव द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि यह संबंधित

कर्मचारी/लिपिक के पास था जो उन अभिलेखों का संरक्षक था और वह चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति पर था। उस हद तक, एक विवादित मुद्दा है कि अपीलार्थी विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगे गए दस्तावेजों को क्यों प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलार्थी के इस तर्क के सत्यापन के संबंध में इस हद तक कि वह अभिलेख का संरक्षक नहीं था और अभिलेख का संरक्षक चुनाव कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर था और यह उसके नियंत्रण से बाहर था, नियम 2005 के नियम 19 (1) (बी) के तहत जांच की जानी आवश्यक थी। उपरोक्त प्रावधान का सहारा लिए बिना, अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामूली जुर्माना लगाने के लिए आगे बढ़ा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियम/प्रावधान की सराहना नहीं की गई है। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोप ज्ञापन के लिए अपीलार्थी के स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए कानून के प्रासंगिक उपरोक्त प्रावधान पर ध्यान नहीं देने में त्रुटियां की है।

10. (2001) 9 एससीसी 180 में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओ. के. भारद्वाज बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि जुर्माना लगाने के लिए विभागीय जांच के संबंध में, यदि कोई विवादित तथ्य हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में विभागीय जांच अनिवार्य है।

11. उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित वैधानिक नियम और सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है ताकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के दिनांकित 09.05.2013 आदेश, पुनरीक्षण प्राधिकरण/समीक्षा प्राधिकरण के दिनांकित 28.05.2015 आदेश और 2015 के सी.डब्ल्यू.जे.सी में 14.05.2019 को पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। तदनुसार, उपरोक्त आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिका (2015 की सी.डब्ल्यू.जे.सी सं.7348) की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, वर्तमान एल.पी.ए की अनुमति प्रदान की जाती है।

12. संबंधित प्रतिवादी-राज्य को आज से 3 महीने की अवधि के भीतर रुकी हुई वेतन वृद्धि को बहाल करने और वेतन और पेंशन को फिर से निर्धारित करने और राशि के अंतर को वितरित करने का निर्देश दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री,न्यायमूर्ति

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

पी. एस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।